

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2019

जयपुर, दिनांक : 31 जुलाई, 2019


परिपत्र

विषय :- परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-2020

1. राजस्थान विधान सभा द्वारा वर्ष 2019-2020 की परिवर्तित आय-व्ययक माँगों को चर्चा उपरान्त बिना किसी परिवर्तन के स्वीकृत कर तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (सं. 5) विधेयक, 2019 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अतः समस्त बजट नियन्त्रण अधिकारी अपनी वित्तीय शक्तियों के अनुसार परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान में अंकित की गई राशि की सीमा तक संबंधित अनुदानों का निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में नियमानुसार उपयोग कर सकते हैं:-
 - (i) वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग द्वारा सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को उनसे संबंधित व्यय के बजट शीर्षों में अनुमोदित राशि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा रही है। सभी बजट नियन्त्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके स्तर पर उनके अधीनस्थ कार्यालयों को किए जाने वाला बजट आवंटन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जाये। ऑनलाइन बजट आवंटन प्रक्रिया में कठिनाई आने पर वित्त विभाग में स्थापित सहायता केन्द्र (Help Desk) पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
 - (ii) चालू वित्तीय वर्ष में परिवर्तित बजट अनुमान (Modified Budget Estimates) की सीमा तक वित्त (बजट) विभाग द्वारा पूर्व में किये गये सभी अतिरिक्त प्रावधान (Additional Authorisation) का समायोजन परिवर्तित बजट अनुमानों (Modified Budget Estimates) में कर लिया गया है। अतः विभाग Modified Budget में अनुमोदित प्रावधानों के अनुसार ही व्यय करे।
 - (iii) जिन मामलों में प्रावधान नवीन सेवा हेतु स्वीकृत किए गए हैं या जिनमें एकमुश्त प्रावधान बजट निर्णयक समिति (BFC) की बैठक में पत्रावली पर सहमति की शर्त पर प्रस्तावित किए गए हैं, उन मामलों में वित्त (व्यय) विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाकर ही व्यय किया जाना है। इस हेतु नियन्त्रण अधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग के संबंधित व्यय अनुभाग को प्रकरण संस्वीकृति हेतु अवश्य प्रेषित करें। एकमुश्त प्रावधानों के सम्बन्ध में वित्त (व्यय) विभाग तथा आयोजना विभाग (जहाँ आवश्यक हो) की सहमति उपरांत ही वित्त (बजट) विभाग द्वारा ये प्रावधान ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाएंगे।
 - (iv) केन्द्रीय सहायता से चलने वाली योजनाओं में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात ही केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि मद में प्रावधित राशि व्यय की जावे।
- 2 वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में व्यय के लिए प्रावधान राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के रूप में पृथक-पृथक किया गया है। आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता से व्यय के लिए पृथक-पृथक बिल ही बनाएं जाएंगे। जिन प्रकरणों में एक ही

बजट मद में राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता, दोनों में बजट प्रावधान है तथा पृथक—पृथक बिल बनाया जाना संभव नहीं हो उन प्रकरणों में एक ही बिल बनाया जाए एवं बिल पर राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के बजट शीर्ष का पूर्ण उल्लेख करते हुए इन मदों में होने वाले व्यय की राशि स्पष्ट रूप से पृथक—पृथक अंकित की जाए। राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता में आवंटित बजट की राशि भी पृथक—पृथक अंकित की जाए।

3. वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने एवं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी लेखा शीर्ष में बजट नियंत्रण अधिकारियों को अतिरिक्त बजट आवंटन (Additional Authorisation) केवल पुनर्विनियोजन (Reappropriation) अथवा अनुपूरक अनुदान (Supplementary Demand) के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाए। अतः तात्कालिक आवश्यकता/अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुनर्विनियोजन हेतु बजट नियमावली के प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति ली जावे।
4. सभी बजट नियंत्रण अधिकारी वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से, वित्त विभाग द्वारा “राजकीय व्यय में मितव्ययता” के सम्बन्ध में जारी परिपत्रों के अनुसार प्रावधान का उपयोग समानुपातिक आधार पर किया जाना सुनिश्चित करावें।
5. व्यय के आँकड़ों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के आँकड़ों से समय—समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराया जाना अपेक्षित है, समायोजन द्वारा भुगतान की जाने वाली देयताओं का पूरा लेखा—जोखा रखा जाये तथा व्यय स्वीकृत प्रावधान को ध्यान में रखकर ही किया जाये।
6. सभी विभागों से यह भी अनुरोध है कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 की पालना में कृपया यह सुनिश्चित करें कि दैनिक मजदूरी पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति प्रतिषिद्ध (Prohibited) होगी। इसके साथ ही नवीन पदों के सृजन हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्यवाही नहीं की जावे। वेतन भत्तों, परिलब्धियों, मानदेय, प्रतिकारात्मक भत्तों आदि का पुनरीक्षण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाये। इनके लिए सक्षम प्राधिकारी वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर, 1999 के द्वारा घोषित किए गए हैं।
7. सभी विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आवंटन करते समय आवंटन आदेशों की एक प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय को भी आवश्यक रूप से प्रेषित करें।



(निरंजन आर्या)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)।
9. समस्त कोषाधिकारी।
10. प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को सात अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(शरद मेहरा)

निदेशक, वित्त (बजट)

